न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।
प्र.वाद संख्या–131/2022
कम्प्यूटर नंबरः 0000125/2022

गुरमीत सिंह **बनाम** **रशपाल सिंह आदि**
धारा–156(3) द0प्र0सं0
थाना–खटीमा।

दिनांकः 24.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी की ओर से विद्वुषी अधिवक्ता सरिता न्यायालय में उपस्थित। प्रार्थी की हाजिरी माफी जरिये विद्वुषी अधिवक्ता प्रस्तुत, न्यायहित में स्वीकृत। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता

02. प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय के अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 04.08.2015 को हो चुकी है पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी अमेरिका में था। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवन काल मे नीचे दिये गये बैंको में पैसा जमा किया गया था जो इस प्रकार है, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मझौला जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, एक्सिस बैंक लि0 शाखा सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मझोला जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश। विपक्षीगण द्वारा बैंक के कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थी के बिना हस्ताक्षर के उक्त सभी बैंको में जमा धनराशि को फर्जी तरीके से निकाल लिया गया है और जब प्रार्थी ने इसके बारे में पूछा तो विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को पिता के उपरोक्त बैंक खातों के बारे में कोई जानकारी नही दी जा रही है। विपक्षीगण द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ गाली गलौच की जाती है तथा जान से मार देने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। विपक्षीगण ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी द्वारा दिय हुआ सोना व माता के पास रखा हुआ सोना भी जिसकी कीमत लगभग पचास लाख है, को पिता की तिजोरी में लगे ताले को तोड़कर निकाल लिया गया है। पिता द्वारा अपने जीवन काल में कच्ची व पक्की जमीन को मिलाकर लगभग 75 एकड़ की खेती की बचत का पैसा कई व्यक्तियों को उधार दे रखा था उसे भी विपक्षीगण द्वारा वसूल कर हड़प लिया गया है। प्रार्थी घर पर अकेला रह रहा है तथा विपक्षीगण कभी भी प्रार्थी के साथ अप्रिय घटना घटित कर सकते है, उक्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2022 को थाना खटीमा में लिखित शिकायत दी गयी परन्तु पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गयी जिस कारण प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को उक्त मामले के संबंध में दिनांक 19.10.2022 को शिकायती प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक प्रेषित किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई।

03. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक 19.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा को प्रेषित शिकायती पत्र छायाप्रति, दिनांक 19.10.2022 को एस0 एस0 पी0 उधम सिंह नगर को प्रेषित शिकायती पत्र छायाप्रति, डाक रसीद पत्रावली पर दाखिल किये गये है।

04. प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या मंगाई गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण सिविल मामला होने के कारण परिवादी और विपक्षीगणो को सिविल न्यायालय व तहसील खटीमा में पत्राचार करने की हिदायत दी गयी थी, उक्त प्रकरण में थाना हाजा खटीमा में कोई अभियोग पंजीकृत नही किया गया है।

05. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

06. यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनानुसार प्रार्थी के पिता ने अपने जीवन काल में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मझौला जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, एक्सिस बैंक लि0 शाखा सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मझोला जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पैसा जमा किया गया था। विपक्षीगण द्वारा बैंक के कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थी के बिना हस्ताक्षर के उक्त सभी बैंको में जमा धनराशि को फर्जी तरीके से निकाल लिया गया है और जब प्रार्थी ने इसके बारे में पूछा तो विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को पिता के उपरोक्त बैंक खातों के बारे में कोई जानकारी नही दी जा रही है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर विवाद है, प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य अभिकथित विवाद सिविल प्रकृति का है। इस न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा उक्त सिविल प्रकृति के विवाद को आपराधिक रंग देने के आशय से उक्त घटना अभिकथित की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों से विपक्षीगण के द्वारा उसके विरूद्ध कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट नही होता है।

07. यह तथ्य विचारणीय है कि न्याय निर्णय ***भारतीय तेल निगम बनाम एन0ई0पी0सी0 इण्ड़िया लिमि0 एवं अन्य, (2006) 6 एस0सी0सी0 736,*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक अभियोजन के माध्यम से दबाव का उपयोग करके सिविल विवादों तथा दावों का, जो किसी दाण्ड़िक अपराध को अर्न्तग्रस्त नहीं करता, निपटारा कराने के लिए किये गये किसी भी प्रयास की निन्दा की जानी चाहिए और उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों से प्रार्थी के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत मामले में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट नही होता है, तदनुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

08. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा
जिला उधम सिंह नगर।